राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 375/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री पुंकेश शर्मा, शासन उप सचिव उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-3-17 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्व प्रस्तुत परिवाद दिनांक 10-3-17 पर की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का पूर्व प्रस्तुत परिवाद दिनांक 10-3-17 विभाग में दिनांक 16-3-17 को प्राप्त हुआ जिसे अ.शा.टीप दिनांक 17-3-17 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त विभाग को प्रेषित कर दिया गया। यह भी निवेदन किया कि पूर्व में अपीलार्थी द्वारा उक्त परिवाद के क्रम में अपील संख्या 11910/2017 दायर की जा चुकी है एवं आयोग द्वारा निर्णित की जा चुकी है। अपीलार्थी को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि एक ही सूचना के आवेदन पर दो अपीलें दायर नहीं की जा सकती।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 1-2-18 मय संलग्रक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित अपीलोत्तर की पृष्ठांकित प्रति दिनांक 1-2-18 पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से सन्तुष्ट हैं उनके पास प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर को खण्डन करने का कोई साक्ष्य नहीं है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन एवं जिस परिवाद दिनांक 10-3-17 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी एक ही दिन प्रस्तुत किये गये हैं अतः चाही गई सूचना भविष्यगामी है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2 (जे) के तहत सूचना के अधिकार की परिभाषा में नही आती क्योंकि उक्त सूचना आवेदन प्रस्तुत करने के दिन अपीलार्थी के नियत्रंणाधीन नहीं थी एवं अपीलार्थी से भविष्यगामी सूचना की अपेक्षा अधिनियम-2005 के तहत नहीं की जा सकती। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त